भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1705
28 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

jsjk ds rgr jh;y ,LVsV daifu;ksa ds iathdj.k dk fujLrhdj.k

1705- MkWñ osadVs'k usrk cksjykdaqrk%
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;**Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us jh;y ,LVsV jsxqysVjh vFkkWfjVh ¼jsjk½ ds rgr dqN jh;y ,LVsV daifu;ksa ds iathdj.k dks jí dj fn;k gS(vkSj
¼k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh jkT;&okj C;kSjk D;k gS vkSj vHkh rd tgka mYya?ku ik;k x;k gS ogka fdruk tqekZuk yxk;k x;k gS\

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भू-संपदा कंपनियों को रद्द करने के संबंध में किसी भी रिकार्ड का रख-रखाव नही करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आवास क्रेताओं के हितों के संरक्षण के लिए भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) का अधिनियमन किया है। अधिनियम की धारा 20 के अनुसार 'उपयुक्त सरकार' अर्थात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से संबधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भू संपदा क्षेत्र को विनियमित एवं विकसित करने हेतु भू संपदा विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है।

रेरा की धारा 34 भू संपदा विनियामक प्राधिकरण को इस के लिए भी सक्षम बनाती है कि उक्त प्राधिकरण लोक दर्शन हेतु अपनी वेबसाइट पर डाटाबेस का रख-रखाव करे और चूककर्ता प्रवर्तकों अथवा उन प्रवर्तकों जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत दंड दिया गया है, के नाम एवं फोटोग्राफ दर्शाए और उसके कारण एवं परियोजनाओँ का ब्यौरा दें जिसके लिए पंजीकरण निरस्त किया गया है, ताकि आम जनता उसे देख सके।